निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2012–13/पार्ट–II/234 दिनांकः 08 अगस्त, 2013

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजकीय महाविद्यालयों में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के प्रवेश आवेदन पत्रों के नवीनीकरण बाबत।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि राजकीय महाविद्यालयों में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के नवीनीकरण प्रवेश आवेदन–पत्र प्राप्त करने एवं शुल्क जमा कराने की अवधि निदेशालय के पत्रांकः 220 दिनांक 10 जुलाई 2013 के द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2013 तक बढ़ाई गई थी।

प्रवेश नीति के नियम पृष्ठ संख्या 30 "स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीनीकरण संबंधी नोट बिन्दु 1 एवं 2 की गलत व्याख्या के कारण अधिकतर महाविद्यालयों में नवीनीकरण से वंचित रह गए छात्रों के हित में द्वितीय व तृतीय वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2013–14 हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषणा के 15 दिवस के भीतर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रक्रिया के कारण शैक्षणिक सत्र में कम हुए दिवसों की पूर्ति महाविद्यालय प्राचार्य अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कक्षाएं पूर्व में ही सुचारू रूप से संचालित हैं तो उन महाविद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम् उपस्थिति (Attendance) पूरी करने का दायित्व हर सूरत में संबंधित छात्र/छात्रा का होगा, जिसका ऐफीडेवीट उनसे प्राप्त किया जावे। किसी भी प्रकार की कानूनी स्थिति उत्पन्न होने पर यह निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित 63 महाविद्यालय कॉमन एडमिशन फार्म का प्रयोग करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद छात्रों के डेटा को ऑनलाइन डेटा बेस में फीड करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2012–13/पार्ट–II/234 दिनांकः 08 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. डॉ0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया पत्र को निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर